# बिहार सरकार
# शिक्षा विभाग
## आदेश

सं0–03/मु02–01/2023......................../ मो. इरशाद अंसारी, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान), भोजपुर, आरा सम्प्रति निलंबित द्वारा समर्पित आवेदन में जीवन निर्वाह भत्ता मूल वेतन का 75 प्रतिशत करने एवं निलंबन से मुक्त करने का अनुरोध किया गया।

2. मो. इरशाद अंसारी के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए विहित प्रकिया का पालन करते हुये मंत्रिपरिषद के निर्णय से श्री अंसारी को अधिसूचना ज्ञापांक–395 दिनांक 17.09.2020 द्वारा सेवा से बर्खास्त किया गया था। इनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में समादेश याचिका सं.–16178/2021 दायर किया गया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15.04.2025 को पारित आदेश एवं विधि विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में विभागीय ज्ञापांक–281647 दिनांक–14.08.2025 द्वारा अधिसूचना ज्ञापांक–395 दिनांक–17.09.2020 को निरस्त करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9(5) के आलोक में मो. अंसारी को सेवा में पुनर्स्थापित किया गया तथा इन्हें बर्खास्तगी की तिथि से लगातार निलंबित किया गया।

3. श्री इरशाद अंसारी, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान), भोजपुर, आरा सम्प्रति निलंबित के मामले की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई है, जिसमें यह ज्ञात होता है कि इनपर वित्तीय अनियमितता के गंभीर आरोप हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बाद इन्हें नए सिरे से माह अगस्त 2025 में सेवा में पुनर्स्थापित करते हुए पुनः निलंबित किया गया है। इनपर संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में भी शीघ्र निर्णय प्रस्तावित है।

4. अतः मो. इरशाद अंसारी, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान), भोजपुर, आरा सम्प्रति निलंबित के जीवन निर्वाह भत्ता को मूल वेतन का 75 प्रतिशत करने एवं निलंबन से मुक्त करने के अनुरोध को अस्वीकृत किया जाता हैं।

5. उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह./
**(मनोरंजन कुमार)**
निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांक– सं0–03/मु02–01/2023' 1/391466/ पटना, दिनांक–......06/04/2026

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/सभी निदेशक/प्रबंध निदेशक/परियोजना निदेशक, शिक्षा विभाग/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै.दा.नि.को.) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ मो. इरशाद अंसारी, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान), भोजपुर, आरा सम्प्रति निलंबित, निलंबन मुख्यालय जन शिक्षा निदेशालय, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना एवं आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Signed by
Manoranjan Kumar
Date: 06-04-2026 15:07:58
निदेशक (प्रशासन)